बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : {286865 (R)
224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

TWT

Truth will Triumph

पत्र संख्या 38

पटना
दिनांक 22/7/03

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का अन्तिम विभाजन के फलस्वरूप झारखण्ड से बिहार राज्य में योगदान करने वाले पदाधिकारियों को अनुमान्य परिगमन अवधि को महालेखाकार बिहार, पटना द्वारा नियमित नहीं करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के संवर्ग के अन्तिम विभाजन के उपरान्त दोनों ही राज्यों से जाने आने वाले पदाधिकारियों को विरमित किया गया । बिहार से झारखण्ड जाने वाले पदाधिकारी री को झारखंड में योगदान करते ही पदस्थापन की अधिसूचना दे दी गई पर — दुर्भाग्यवश बिहार में वैसा नहीं हो पाया फलस्वरूप बिहार आने वाले पदा धिकारियों को कार्मिक विभाग में ही योगदान देना पड़ा । निश्चित तौर पर अधिकांश पदाधिकारी द्वारा पारगमन अवधि का उपयोग किया गया । पारगमन अवधि अनुमान्य होगा या नहीं इस सम्बन्ध में केडर विभाजन सम्बन्धी अन्तिम अधि सूचना निर्गत करने समय ही महासचिव से आपकी वार्ता हुई थी । भवदीय के द्वारा स्पष्टतः कहा गया था कि बिहार सेवा संहिता के अनुसार स्थानान्तरण के नियम अनुसार पारगमन अवधि स्वीकार्य होगा । इसी आशय की सूचना झारखंड में पदस्थापित पदाधिकारी जिन्हें बिहार आना था, दूरभाष पर मौखिक रूप से हमारे

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth will Triumph

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा
कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

पटना

दिनांक........................

पत्र संख्या ....

द्वारा भी दी गई थी । दोनो राज्यादेश में एक तिथि निश्चित की गई थी कि उक्त तिथि के बाद वे उक्त राज्य के पदाधिकारी नही माने जायेगें जहाँ से जा रहें हैं ।

झारखंड राज्य में बिहार से झारखंड जानेवाले पदाधिकारियों का पदस्था-पन अधिसूचना निर्दिष्ट तिथि के पूर्व ही बिहार निर्गत हो गई थी, वहाँ योगदान देते ही वे अपनी अपनी अधिसूचना लेकर अपने निर्दिष्ट विभाग/स्थान पर योगदान दे दिये । परन्तु बिहार में पारगमन अवधि के बाद भी उन्हें पदस्थापन अधिसूचना हेतु इंतजार करना पड़ा एंव अभी भी कई विभाग यथा खाद्य एंव आपूर्ति/ग्रामीण विकास विभाग, यहाँ तक कि कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग में, पदाधि-कारी अपने पदस्थापन की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं । वे अपने वेतन आदि से वंचित तो हैं ही, पदस्थापन की प्रतीक्षा को नियमित कराने में भी तीन डिब्बे तेल को कम से कम जलाना ही होगा । आर्थिक ,मानसिक एंव शारीरिक कष्ट तो अलग से झेलेगें ही, जबकि इसमें ऐसे पदाधिकारियों का कोई दोष है ही नहीं ।

इसी उक्त परिप्रेक्ष्य में वे सभी पदाधिकारी जिन्होने देर सवेरे अपना प्रभार ग्रहण कर लिया है एंव जिन्हें महालेखाकार द्वारा वेतन पुर्जा निर्गत हुआ है, महालेखाकार ,बिहार,पटना द्वारा झारखंड राज्य से बिहार राज्य में योगदान की अवधि 18.5.2003 से 25.5.2003 को पारगमन अवधि मानकर नियमित नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा उन्हें करना है । इस संदर्भ में मैं बिहार सेवा संहिता भाग - । का नियम 255 की ओर महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसका सुसंगत अंश निम्नरूप में उद्धृत किया जा रहा है:-

अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth will Triumph

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा
कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

पटना

पत्र संख्या ....

दिनांक..........................

255- जहाँ सरकारी सेवक की बदली एक अधिष्ठान से दूसरे अधिष्ठान में हो वहाँ पदग्रहण काल अधिक से अधिक 30 दिन दिया जा सकता है । तैयारी के लिए 6 {छः} दिन दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त वास्तविक यात्रा के लिये समय दिया जाता है, जो इस नियम के सुसंगत अंश की छाया प्रति{संलग्न} से स्वतः स्पष्ट होगा।

यहाँ तो यह भी स्थिति नही है कि एक राज्य के अन्दर एक अधिष्ठान से दूसरे अधिष्ठान जाना है । यहाँ तो स्थिति है एक राज्य से दूसरे राज्य में योगदान करने का नियम 255 के तहद,यह अवधि 30{तीस} दिनों तक होनी चाहिए। फिर किस स्थिति में एंव किस नियम के तहद महालेखाकार,बिहार,पटना द्वारा नियमानुसार अनुमान्य पारगमन अवधि को भी नियमित नहीं मानकर वेतन रोक रखा गया है, इस पर भवदीय को उल्लिखित परिप्रेक्ष्य एंव नियम के अन्तर्गत हस्तक्षेप की अविलम्ब आवश्यकता है ।

अनुरोध है कि अपने स्तर से महालेखाकार को बिहार सेवा संहिता के नियम 255 के अनुसार पारगमन अवधि को नियमित कर वेतनपुर्जा निर्गत करने का निदेश दिया जाय ताकि पदाधिकारियों को परेशानियों से बचाया जाय ।

विश्वास भाजन

{जी. लाल. दास}
महासचिव ।

{डब्लू. एन. सिंह}
अध्यक्ष

ज्ञापांक:---38---/ पटना, दिनांक: 22/7/03

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

{जी. लाल. दास}

{डब्लू. एन. सिंह}
अध्यक्ष